

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 20225 / 353

दायरा तिथि : 01.07.25

आदेश तिथि : 23-07-2025

प्रार्थी :-

गुलाबसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 23-07-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 401 रकबा 0.5200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 446 रकबा 0.8800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 399 रकबा 0.8800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2207 दिनांक 22.07.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	399	0.88 हैक्टर	बा.दो.	170X06=1020 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,33,000/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंशा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

सहायक क्लर्क एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 401 रकबा 0.5200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 446 रकबा 0.8800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02

//02//  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 353**  
 अनवान गुलाबसिंह बनाम सरकार  
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 401 रकबा 0.5200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 446 रकबा 0.8800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 399 रकबा 0.88 हैक्टर में से 1020 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 233000/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
399	0.88 हैक्टर	170X06=1020 वर्गमीटर	24	24480X2=48960	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 48960/- (अक्षरे अडतालीस हजार नौ सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में अमल कर प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल केसल शमार डोक नंबर से कम हो।



**सहायक कलेक्टर एवं पदेन**  
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 23/07/25

क्रमांक/कोर्ट/2025/987-991  
 प्रतिलिपि प्रिन्टिंग/को.पालनार्थ

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गुलाबसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

**सहायक कलेक्टर एवं पदेन**  
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 15/07/2025 09:11:58 AM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

पटवारी हत्का : बीजापुर

ग्राम : बीजापुर



Scale 1:2000

खसरा संख्या :399 क्षेत्रफल : 0.8800 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारीय दोगम [ 0.8800, 4.40 ]

राज. सरकार

*(Signature)*  
तहसीलदार, बाली

*(Signature)*  
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल सूचना के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।